देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/bkh/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 16 फरवरी 2021

भाग-1

सरकारी धन का हिसाब देने में नगर निगम जयपुर ग्रेटर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी को आनाकानी क्यों?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है मामला?

हमारे देश की GDP की राशि का 30% हिस्सा सरकारी टेंडरों में सेवा,वस्तुओं की आपूर्ति,निर्माण में खर्च होता है,और एक रिपोर्ट के अनुसार,इन टेंडरों का 20 से 30% तक का हिस्सा तो अधिकारियों,नेताओं,मंत्रियों को हिस्सा देने में ही खर्च हो जाता है|ऐसे ही एक भ्रष्ट प्रकरण में 03/10/2019 को नगर निगम की फायर शाखा द्वारा आग बुझाने वाली 42 मीटर सीढ़ी वाली हाईड्रोलिक अग्निशमन वाहन के संचालन हेतु 18 लाख रूपये की निविदा निकाली गयी थी|जिसके लिए ड्राईवर कम ओपरेटर रखे जाने थे|स्थानीय सूत्रों के अनुसार निगम की अग्निशमन शाखा के जिम्मेदार अधिकारीयों ने अपने चहेते को यह टेंडर दिलाने के लिए नियमों को तोडा और पूलिंग कर उसे टेंडर दिलाया गया,जिसकी एवज में मोटी रकम चढ़ावे के रूप में निगम के अधिकारीयों को भेंट की गयी|निगम अधिकारीयों और ठेकेदार की मिलीभगत का यह नतीजा रहा कि इस गाडी पर नियुक्त कर्मियों की दैनिक हाजरी,भत्तों और गाडी के मेंटिनेंस,डीजल के नाम पर जम कर हेराफेरी की गई|

सुचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी|

इस मामले में अधिक जानकारी एवं सम्बंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु नगर निगम की फायर शाखा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी से सुचना के अधिकार के तहत आवेदन कर जानकारी मांगी गयी|परन्तु इसका नियत 30 दिवसों में जवाब देना श्री फुलवारी द्वारा मुनासिब नहीं समझा गया|जिससे व्यथित होकर महापौर महोदय को प्रथम अपील की गयी,जिन्होंने अपील स्वीकार करते हुए लोक सुचना अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी को चाही गयी सूचनाएं देने के आदेश दिए परन्तु महापौर महोदय के आदेश से भी श्री जगदीश फुलवारी के कानों पर जूं तक नही रेंगी और उन्होंने मेरे सुचना आवेदन का कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा|श्री श्री जगदीश फुलवारी के इस बर्ताव से व्यथित होकर हमारे द्वारा राज्य सुचना आयोग में द्वितीय अपील की गयी,जिसका जवाब देते हुए श्री फुलवारी द्वारा सुचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) का बहाना बनाकर समस्त 14 बिन्दुओं की सुचना देने से इनकार कर दिया|

जवाब मांगते सवाल?

1. RTPP ACT 2012 के प्रावधान तो टेंडर प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए ही बनाये गए है|फिर इस टेंडर की जानकारी क्यों नहीं दे रहे फुलवारी महोदय?
2. अपने 14 बिन्दुओं के आवेदन में हमारे द्वारा टेंडर के नाम पर लुटाये जाने वाले सरकारी धन का हिसाब माँगा गया था ना कि भ्रष्ट लोक सुचना अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी की काली कमाई से होने वाले खर्चों का|फिर भी फुलवारी महोदय को आनाकानी क्यों?
3. क्या फुलवारी जी बताएँगे कि कैसे मेरे द्वारा चाही गयी सूचनाओं से भ्रष्टाचार के प्रकटन की बजाय किसी प्रतियोगी के वाणिज्यिक विश्वास,व्यापार गोपनीयता या बैद्धिक संपदा को नुक्सान पहुँच सकता है?
4. आखिर क्यों श्री फुलवारी भ्रष्टाचार के प्रकटन में अन्यथा ही बाधक बन रहे है?क्या श्री जगदीश फुलवारी सीना ठोक कर इस टेंडर में घपलों की जांच करवाने को तैयार है?
5. क्या श्री जगदीश फुलवारी शपथपत्र देने को तैयार है कि इस प्रकरण में एक पैसे का भी घपला नहीं किया गया है?

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र नगर निगम ग्रेटर जयपुर

क्रमांकः एफ.9( )आ.फा./ज.न.नि./20/6507 दिनांक 11/2/2021

श्री ज्ञानेश कुमार,
एस 1 सेंकड फ्लोर झारखंड महादेव मोड,
जनरल संगत सिंह मार्ग खातीपुरा जयपुर।

विषयः—सूचना का अधिकार अधिकार 2005 की धारा 19 (3) के तहत माननीय सूचना आयोग में पंजिकृत द्वितीय अपील संख्या 104504/20 दिनांक 21.01.2021 के क्रम मे।

प्रसंगः—श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय के File No. CIC/JPRM/A/2020/104504 DATE 21-01-2021 के क्रम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा इस कार्यालय द्वारा जारी टेंडर "Operation for Arial Hydraulic Platform Ladder (42Meter)" के सम्बन्ध में बिन्दुवार जवाब चाहा गया था। जो निम्न प्रकार हैः—

क्र.सं.	चाही गई सूचना	चाही गई सूचना का प्रतिउत्तर
1	आपके कार्यालय में संधारित उक्त विषयान्तर्गत निविदा (वित्तीय वर्ष 2018—2019, 2019—20)हेतु की सम्पूर्ण पत्रावली (मय नोटशीट, निविदा प्रपत्र, जी—शेड्य, ड्राइंग, डिजाईन, आपत्तिया, संशोधन, समस्त निविदादाताओं, द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अवार्ड, आदेश, निर्देश, परिपत्र, बिल, बाउचर, सफल निविदाकर्ता को चुनने की प्रकिया से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज एवं गणनाएं, फाईनेसियल बिड, टैक्निकल बिड, नेगोशियेशन, इस निविदा प्रकिया से सम्बन्धित विभिन्न बैठको के मीटिंग के मिनिटस सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेज, विभिन्न, पत्राचार आदि) की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	— चाही गई सूचना वैबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं ww.eproc.rajasthan.gov.in पर भी upload की जाती है, जहां से आप आवश्यकतानुसार रिकार्ड देख सकते हैं एवं प्रिन्ट भी प्राप्त कर सकते है। —शेष सूचना हेतु आपको अवगत करवाया जाता हैं कि सूचना का अधिकार 2005 के अधिनियम के नियम 8 (1)(घ) के अनुसार चाही गई सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित हैं, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हैं, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नही हो जाता हैं कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है सूचना के प्रकट किये जाने से छूट की श्रेणी में आता है। अतः चाही गई सूचना छूट की श्रेणी के अंतर्गत होने की स्थिति में अदेय है।
2	यदि आपके द्वारा इस टेंडर के क्रम में सफल निविदाकर्ता से नगोशियेशन किया गया था तो नेगोशियेशन सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	बिन्दु संख्या 01 के अनुसार है।
3	उपरोक्त विषयांन्तर्गत टेंडर के क्रम में (वित्तीय वर्ष 2018—19, 2019—20) हेतु सफल निविदाकर्ता का नाम पता बताने का श्रम करे।	बिन्दु संख्या 01 के अनुसार है।
4	उपरोक्त विषयान्तर्गत टेंडर के क्रम में(वित्तीय वर्ष 2018—19, 2019—20) हेतु सफल निविदाकर्ता के साथ किये गये करार/अग्रीमेंट/कॉन्ट्रेक्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	बिन्दु संख्या 01 के अनुसार है।
5	उपरोक्त विषयान्तर्गत टेंडर के क्रम में (वित्तीय वर्ष 2018—19, 2019—20) हेतु सफल निविदाकर्ता के साथ किये गए करार/अग्रीमेंट/कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इस फायर वाहन का मेंटिनेंस किसके द्वारा किया जाना है, नगर निगम द्वारा या कांट्रेक्टर द्वारा इस क्रम में (वित्तीय वर्ष 2018—19, 2019—20 से आज दिनाक तक) प्रस्तुत किये गए बिलों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं बिलो के सम्बन्ध में किये गये भुगतानों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में लेख है कि सूचना का अधिकार 2005 के अधिनियम के नियम 8 (1)(घ) के अनुसार चाही गई सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित हैं, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हैं, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नही हो जाता हैं कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है सूचना के प्रकट किये जाने से छूट की श्रेणी में आता है। अतः चाही गई सूचना छूट की श्रेणी के अंतर्गत होने की स्थिति में अदेय है।

श्री फुलवारी द्वारा दिया गया जवाब,जिसमे से भ्रष्टाचार की बू आ रही है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

6	उपरोक्त विषयानतर्गत टेंडर के क्रम में सफल निविदाकर्ता के साथ किये गए करार/अग्रीमेंट/कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इस फायर वाहन में लगने वाले डीजल का भुगतान किसके द्वारा किया जाना है, नगर निगम द्वारा या कांट्रेक्टर द्वारा। इस क्रम में (वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 से आज दिनांक तक) प्रस्तुत किये गए बिलों की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं बिलों के सम्बन्ध में किये गए भुगतानों की प्रमाणिम प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	बिन्दु संख्या 05 के अनुसार है।
7	वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 से आज दिनांक तक आपके कार्यालय में संधारित इस वाहन की लोगबुक की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	बिन्दु संख्या 07 के क्रम में लेख है कि आपके द्वारा चाही गई सूचना के लगभग 400 से 450 पृष्ठ है। अतः आप लोकबुकों का अवलोकन कर चिन्हित करे जिससे छायाकन का काम कम होगा और आपके द्वारा चाही गई सूचना आपको दी जा सके।
8	वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 में इस वाहन पर तैनात संविदाकर्मियों के नाम बताने का श्रम करे उनकी उपस्थिति को प्रदर्शित करने हेतु इस वाहन के वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 से आज दिनांक तक के उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	इस शाखा में संविदा पर कोई कार्मिक कार्यरत नही है अतः सूचना शून्य समझी जावे।
9	उपरोक्त विषयान्तर्गत निविदा की शर्त संख्या 13 के अनुसार वाहन पर कार्यरत संविदाकर्मियों के पीएफ व ईएसआई जमा का प्रमाण पत्र हर माह बिल के साथ श्रीमान् मुख्य अग्निशमन अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इस क्रम में इस वाहन पर नियुक्त समस्त संविदाकर्मियों के वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 से आज दिनांक तक जमा करवाये गये पीएफ व ईएसआई जमा के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	इस शाखा में संविदा पर कोई कार्मिक कार्यरत नही है अतः सूचना शून्य समझी जावे।
10	वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 से आज दिंनाक कांट्रेक्टर द्वारा जमा करवाये गए बिलो की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	बिन्दु संख्या 05 के अनुसार।
11	वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 हेतु करवाये गए इस वाहन के बीमे की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं भुगतान सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	बिन्दु संख्या 05 के अनुसार।
12	इस वाहन का बीमा कम्पनी द्वारा किया गया था, बीमा एजेंट का नाम बताने का श्रम करे साथ ही यह जानकारी भी उपलब्ध करवाये की उक्त बीमा एजेंट नगर निगम से अनुबन्धित है अथवा किसी अधिकारी/नेता का निजी मित्र/ रिश्तेदार/ सम्बबन्धी/पार्टनर है।	बिन्दु संख्या 05 के अनुसार।
13	उपरोक्त विषयान्तर्गत निविदा की शर्त संख्या 15 के अनुसार यदि किसी संविदाकर्मी को निकाला गया हो तो उसका नाम बताने का श्रम करे, निकालने का कारण/नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करे।	इस शाखा में संविदा पर कोई कार्मिक कार्यरत नही है अतः सूचना शून्य समझी जावे।
14	निकाले गये संविदाकर्मी की जगह कार्य करने वाले अन्य संविदाकर्मी का नाम बताने का श्रम करे।	इस शाखा में संविदा पर कोई कार्मिक कार्यरत नही है अतः सूचना शून्य समझी जावे।

11/2/2021

राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपिः–

1 श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय, राजस्थान सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर (राज.)302017 को सूचनार्थ।
2. श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नगर निगम ग्रेटर जयपुर के पत्रांक एफ 4 ( )अति. आ/सू.अ.अधि/ननिज/2019/171 दिनांक 13.01.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
3. सुरक्षित पत्रावली।

–sd–

राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com